(च) तथा (छ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सैनिक फार्म में 1990 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.सं० 86-ए के बारे में सुरजीत सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम के एक मामले में स्थगन आदेश दिया हुआ है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है ।

**Flood prone areas in the State of Bihar**

637. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) which are the flood prone areas in the State of Bihar,

(b) out of these areas, which areas suffered from floods during the last three years;

(c) the estimates of damage done due to floods submitted by Bihar Government luring the last three years;

(d) the amount of aid provided by the Central Government against those estimates during the last three years. and

(e) the reasons of the differences, if any, between the estimates submitted by the Bihar Government and the Central assistance provided for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Rashtriya Barh Ayog has assessed an area of 42.6 lakh hectare as flood prone in the State of Bihar. On an average an area of about 14.45 lakh hectare gets affected annually. During the last three years 14 districts were mainly affected due to floods viz., Darbhanga, Gopalganj, Khagaria, Bhagalpur, Madhubani, Muzaffarpur, Madhepura, Patna, Saharsha, Supaul, Sitamarhi, Samastipur, West Chaparan and Katihar.

(c) to (e) Government of Bihar has reported damage to crops, houses and public utilities to the extent of Rs 20.14 crores, Rs. 22.14 lakhs and Rs. 306.41 crores during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Under the existing scheme of financing relief expenditure, the State Government undertakes relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities including floods using the corpus of the calamity Relief Fund (CRF). Bihar has an annual CRF of Rs. 35.00 crores consisting of Central share of Rs. 26.25 crore and State share of Rs. 8.75 crore. The Central share of CRF has been released to the State Government during the last 3 years for undertaking relief and rehabiltation measures in wake of natural calamities.

**सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने से संबंधित प्रतिवेदन की जांच**

638. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सरकार को निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन)** (क) से (घ) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार की अनुक्रियायें सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 13-12-94 को न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि, इस रिपोर्ट की गोपनीयता को बनाए रखा जायेगा ।

**उड़ीसा में पोलेरु सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना**

639. **श्री भगवान माझी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहण समस्या और अन्य अवरोधों को, जिनसे उड़ीसा में पोलेरु

सिंचाई परियोजना के पूरा होने मे विलम्ब हुआ है, का समाधान कर लिया गया है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा हैं ;

(ग) क्या इसका निर्माण कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा हो जाएगा ;

(घ) अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) उस सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन)** : पोट्टेरू परियोजना के विलम्ब के मुख्य कारण ये है; परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन, निधियों की कमी तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्यायें । 102.39 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान 9/93 में अनुमोदित किया गया है ।

(ख) और (ग) इस परियोजना को 6/96 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) 9/94 तक इस पर 86.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है ।

(ङ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इसके प्रबोधन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौपा गया है ।

**प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना**

740. **श्री भगवान माझी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में प्रमख नदियों को आपस मे जोड़ने के लिये अभी तक प्रस्तुत किये गये विभिन प्रस्ताव क्या हैं ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गए ; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन)**: (क) से (ङ) सरकार द्वारा तैयार किये गये जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये अधिशेष जल वाली बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों को जल अंतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों के बीच और हिमालयी नदियो के बीच अलग-अलग अंत: संपर्क करने की परिकल्पना की गई है ।

राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1982 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है । इसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री है तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधिकारियों के अलावा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री/सिंचाई के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं । इन प्रस्तावों को पुष्ट करने के लिये एक तकनीकी सचिवालय है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 जल अंतरण संपर्क अभिज्ञात किये गये हैं, जिनमें से 17 प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत तथा 19 हिमालयी घटक के अन्तर्गत है । प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत 2 संपर्कों के कार्यालय अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं । शेष प्रायद्वीपीय संपर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत संपर्कों के अध्ययन के कार्य को आठवी योजना में शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक के 9 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के 3 संपर्कों के फील्ड अन्वेषण कार्य को अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

इन योजनाओं पर इस शर्त पर क्रियान्वयन के लिये विचार किया जा सकता है कि लागत अनमानों सहित व्यवहार्यता अध्ययन, संबंधित राज्यों के बीच सहमति, फील्ड अन्वेषण तथा विस्तृत